

Reader
Om

5/22

Form No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
फर्द अहकाम
(नियम 26)

विरेन्द्र बनाम राज व अन्य


हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज
प्रार्थना पत्र - 212 जा0डी0 संख्या 173 वर्ष 2022

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तारीख में जारी हुए


तारीख
हुकम


28.04.2022

आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 01.06.2022 तक अस्थायी निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 197/1.03, 210/0.63 है0 वाके ग्राम बिरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) पर वादी की खातेदारी भूमि पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावे? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जय्य अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलबी पत्रावली वाद के साथ पेश हों।


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

12/05/22

आज पत्रावली शीघ्र सुनवाई का पत्र पेश
पेश की जाये व अनिर्णय नं 01 लागू
की तरफ से भी सुनिश्चित भाव, एडको के उपर एडको
जवाब पत्र पेश किया जा शक है। कल ही
इसके विषय थापके से सुना गया, विदाय अफ.
पत्र थापके से अनिर्णय करने हेतु एडको
से गई। अतः पत्रावली का निर्णय किया जाना
सुझावित है अतः पत्रावली का निर्णय प्रथम
से लिखा जाय, पुनः वापस से सुनाया
जाय. शक है कि पत्रावली खास निर्णय
सिलेक्ट शल वाद ही 

वादी


अधिवक्ता


उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0